

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—85/2019 (2019/00213) वादपत्र

अनवान

1. कन्हैयालाल पिता हरू गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. झमकु पत्नि हरू गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. मांगीलाल पिता हरू गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. ग्राम सेवा सहकारी समिति कोट जरिये व्यवस्थापक कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. फारूख मोहम्मद —

अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

दिनांक 25.03.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 18.08.2020 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम कोट पटवार हल्का कोट तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 149 रकबा 1.46 है0, आराजी संख्या 194 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 196 रकबा 0.46 है0, आराजी संख्या 199 रकबा 0.94 है0, आराजी संख्या 219 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 220 रकबा 0.02 है0 गे.मु.आचा, आराजी संख्या 990 रकबा 0.38 है0, आराजी संख्या 995 रकबा 0.16 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 3.70 है0 भूमि में वादीगण का 2/3 हिस्से का बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विधिवत रूप से विभाजन करवा स्वंत्रत राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड मे खोल जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था। परन्तु प्रतिवादी में 1 खातेदार गट्टु पत्नि हरू का नाम सेवन से छुट गया जिसकी शुद्धिपत्र से नाम जोड़ा गया था परन्तु जमाबन्दी में अकन से छुट गया जिसकी ऑनलाईन जमाबन्दी प्रस्तुत की जो साथ संलग्न है।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 23.03.2021 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादीगण अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया। न्यायोचित प्रतीत होता है।





आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम कोट तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में खाता संख्या 289 की प्रस्तावित आराजी संख्या 995 रकबा 0.16 है, आराजी संख्या 149/2 रकबा 0.73 है, आराजी संख्या 196/2 रकबा 0.29 है, आराजी संख्या 199/2 रकबा 0.47 है कुल किता 4 कुल रकबा 1.65 है भूमि भूमि कन्हैयालाल पिता हरू झमकु पत्नि हरू गुजर सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 194 रकबा 0.16 है, आराजी संख्या 219 रकबा 0.12 है, आराजी संख्या 149/1 रकबा 0.73 है, आराजी संख्या 196/1 रकबा 0.17 है, आराजी संख्या 199/1 रकबा 0.47 है कुल किता 5 कुल रकबा 1.65 है भूमि मांगीलाल पिता हरू गटू पत्नि हरू गुजर तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 220 रकबा 0.02 है, आराजी संख्या 990 रकबा 0.38 है कुल किता 2 कुल रकबा 0.40 है शामलाती बदस्तुर एवं रहन बदस्तुर जमाबन्दी रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Signature)
25/3/2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा
रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—85/2019 (2019/00213) वादपत्र

अनवान

1. कन्हैयालाल पिता हरू गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. झमकु पत्नि हरू गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. मांगीलाल पिता हरू गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. ग्राम सेवा सहकारी समिति कोट जरिये व्यवस्थापक कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा


प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्तु इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम कोट तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में खाता संख्या 289 की प्रस्तावित आराजी संख्या 995 रकबा 0.16 है, आराजी संख्या 149/2 रकबा 0.73 है, आराजी संख्या 196/2 रकबा 0.29 है, आराजी संख्या 199/2 रकबा 0.47 है कुल किता 4 कुल रकबा 1.65 है भूमि कन्हैयालाल पिता हरू झमकु पत्नि हरू गुजर सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 194 रकबा 0.16 है, आराजी संख्या 219 रकबा 0.12 है, आराजी संख्या 149/1 रकबा 0.73 है, आराजी संख्या 196/1 रकबा 0.17 है, आराजी संख्या 199/1 रकबा 0.47 है कुल किता 5 कुल रकबा 1.65 है भूमि मांगीलाल पिता हरू गट्टू पत्नि हरू गुजर तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 220 रकबा 0.02 है, आराजी संख्या 990 रकबा 0.38 है कुल किता 2 कुल रकबा 0.40 है शामलाती बदस्तुर एवं रहन बदस्तुर जमाबन्दी रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

वाद में डिक्री आज दिनांक 25.03.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।




(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा